मुकदमा..........अपील..........

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...|23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट कि बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड विक्रय पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29-6-2022 को जरिए विक्रय पत्र झाबरमल पुत्र प्रभातीलाल जाति स्वामी निवासी भादवाडी तहसील श्रीमाधोपुर से भूमि ख० न० 2763 ग्राम नीमकाथाना में रकबा 3.96 हैं बारानी 3 मे 343/13200 हि० क्रय किया है। पत्रावली मे शामिल नामान्तकरण सं 551 का अवलोकन करने से पाया गया कि पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा यह रिपोर्ट कि गई है कि उक्त ख० न० मे प्लोटिंग है। अकृषि के रूप में आ रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 20-9-2022 को नामान्तकरण खारीज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र नामान्तकरण कि कार्यवाही करवाने हेतु दिनांक 6-10-2022 को तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष पेश किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म

27/6/[illegible]

3/8/2[illegible]

8/8

जिस प्रार्थना पत्र पर इसी दिन [illegible]
आदेश पटवारी हल्का को दिया गया [illegible]
कि दस्तावेज व रिकार्ड कि नियमानुस[illegible]
जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही [illegible]
जो प्रार्थना पत्र अपीलान्ट को इसी [illegible]
कर पटवारी हल्का को देने हेतु दिया गया [illegible]
जबकि नामान्तकरण 551 पटवारी व [illegible]
गिरदावर कि रिपोर्ट के आधार पर [illegible]
नामान्तकरण तहसीलदार नीमकाथाना [illegible]
द्वारा दिनांक 20-9-2022 को ही खारिज
कर दिया गया। जिससे यह स्पष्ट होता
है कि अपीलान्ट को ना तो कोई [illegible]
दी गई है एवं ना ही मौके पर सुना
गया है। इस आधार पर तहसीलदार
द्वारा किया गया आदेश प्राकृतिक न्याय
के सिद्धान्त के विपरीत किया गया है।
जबकि जिन बिन्दुओ के आधार पर
नामान्तकरण खारीज किया गया है जिस
सम्बंध में पूर्व में मौका देखना चाहिए
था जो नही देखा गया है। पत्रावली में
प्रस्तुत नामान्तकरण के अवलोकन
करने पर पाया कि भूमि वर्गीकरण
के अनुसार भूमि बारानी 3 दर्ज है।
उक्त भूमि का विक्रय क्रेता व विक्रेता
दोनो की सहमति से हुआ है। मौके
पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि
में किया जा रहा है एवं मौके पर
कृषि भूमि नही थी तो विधिमान्य
नियमों में दिये गये प्रावधानो के
अनुसार कार्यवाही [illegible] चाहिए थी।
जो नहीं [illegible]
कि गई [illegible] द्वारा नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
जो कार्यवाही नियमों के विपरीत की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मियाद बाबत जो धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपील में अंकित सम्पूर्ण तथ्यों एवं रिकार्ड के आधार पर अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नामान्तकरण सं 551 ग्राम नीमकाथाना आदेश दिनांक 20-9-22 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 29-6-2022 के अनुसार नामान्तकरण पुनः भरकर फैसल करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावे। निर्णय सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner